तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/120/2004/बून्दी बिरधी लाल बनाम गायत्री देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-04-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 16-12-2003 को प्रकरण संख्या 209/99 अनुवानी बिरधीलाल बनाम श्रीमती गायत्री देवी में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी-गैर निगराकार संख्या-1 ने उपखण्ड अधिकारी, बूँदी के समक्ष वादपत्र व उसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 212 को दिनांक 20-10-1999 को निर्णय किया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, बूँदी को रिसीवर नियुक्ति किया गया, साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि यदि अप्रार्थी 1500/- रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष कैश सीक्योरिटी जमा करा देते हैं तो कब्जे में रह सकते हैं। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण-निगराकारान की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कैश सीक्योरिटी की राशि को 1500/- रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के स्थान पर 750/- रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष संशोधित किया गया। योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अधीनस्थ दोनों ही न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों की अनदेखी की है। प्रश्नगत भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18-12-1982 प्रार्थीया द्वारा खातेदार सुन्दर बाई से क्रय की गई है और प्रार्थीया मौके पर काबिज काश्त है तथा सद्भावी क्रेता है। वादी-गैर निगराकार द्वारा वादपत्र धारा 183 के तहत किया गया है जिससे भी आराजी पर हमारे कब्जे की पुष्टि होती है। राजस्व	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/120/2004/बून्दी बिरधी लाल बनाम गायत्री देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिलेख में हमारे पक्ष में ही खातेदारी की प्रविष्टियां हैं। प्रश्नगत भूमि इनमीडियो नहीं है और जब भूमि इनमीडियो नहीं है तो कैश सीक्योरिटी का आदेश दिया जाना पूर्णतया विधि व प्रावधानों के विपरीत है। योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या–1 के योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या–1 श्रीमती सुन्दर बाई व वादिया के स्व0 पति गिरधारी लाल पुत्र सूरजमल को यह भूमि वाद संख्या 102/78 सहायक कलक्टर, बूँदी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से यह भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वादिया का इस भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है। वादिया विधवा है और यदि भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा रहन, बय कर दिया गया तो वाद पेश करने का औचित्य समाप्त हो जायेगा। वादग्रस्त भूमि इनमीडियो होने से रिसीवरी का आदेश उचित आदेश है। प्रतिवादी को कैश सीक्योरिटी जमा कराने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वादिया के हितों की रक्षा इससे हो सकेगी। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित किये हैं, निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी–गैर निगराकार संख्या–1 गायत्री देवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बूँदी के समक्ष वादपत्र व उसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया उसमें मुख्य रुप से यही अभिकथन लिया गया है कि प्रतिवादी संख्या–1 श्रीमती सुन्दर बाई व वादिया के स्व0 पति गिरधारी लाल पुत्र सूरजमल को यह भूमि वाद संख्या 102/78 सहायक कलक्टर, बूँदी द्वारा पारित निर्णय से यह भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या–1 भूमि को अंतरित करना चाहती है, अतः प्रश्नगत भूमि पर रिसीवर मुकर्रर किया जाये। प्रतिवादी संख्या–1 श्रीमती सुन्दर बाई का कथन रहा है कि प्रतिवादिनी या उसके पति सूरजमल द्वारा कभी भी गिरधारी लाल को गोद नहीं लिया गया है। गिरधारी लाल सूरज मल का नहीं हो कर भॅवर लाल का लडका है। नकल निर्णय वाद संख्या 102/78 अन्तर्गत धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/120/2004/बून्दी बिरधी लाल बनाम गायत्री देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	53, आर0टी0ए0 अनुवानी सुन्दर बाई बनाम माखन लाल आदि के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि दिनांक 30–1–1979 को सहायक जिलाधीश, प्रथम, बूँदी ने सुन्दर बाई बेवा सूरजमल व गिरधारी लाल पुत्र सूरज मल के मध्य विभाजन की डिक्री प्रदान की है। प्रार्थीया गायत्री देवी गिरधारी लाल की पत्नी है और गिरधारी लाल के फौत होने पर, गिरधारी लाल के फुट स्टैप्स पर आते हुये उसका आराजी में 1/2 हिस्सा निहित रहता है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि वादिया–प्रार्थी व प्रतिवादी–अप्रार्थी संख्या–1 के सह खातेदारी की होने से तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम का अंकन होने से आराजी के खुर्द बुर्द होने का अंदेशा रहता है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में समस्त तथ्यों को देखते हुये विवादित भूमि को इनमीडियो मानते हुये इस पर तहसीलदार, बूँदी को रिसीवर नियुक्ति किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि यदि अप्रार्थी 1500/– रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष कैश सीक्योरिटी जमा करा देते हैं तो कब्जे में रह सकते हैं। चूँकि मूल वाद का निस्तारण होना शेष है जिसमें साक्ष्य व शहादत के आधार पर मूल वाद का निर्णय हो सकेगा। वादिया के हितों की रक्षा को देखते हुये कैश सीक्योरिटी का आदेश एक न्यायोचित आदेश है। वैसे भी अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कैश सीक्योरिटी की राशि को 1500/– रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के स्थान पर 750/– रुपये प्रति बीघा प्रति वर्ष संशोधित किया गया है और एक प्रकार से वर्तमान निगराकारान को काफी अनुतोष अपीलीय न्यायालय के स्तर से प्रदान किया जा चुका है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की तात्विक या विधिक भूल नहीं होने से, निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	